संख्या370/उन्तीस (2)/05(45पे.)/2000TC

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 04 अगस्त, 2005

विषय : जनपद देहरादून की बीजापुर कैनाल से देहरादून हेतु पेयजल योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद देहरादून की बीजापुर कैनाल से देहरादून हेतु पेयजल योजना के मूल प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 315.80 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1617/नौ–2(45पे)/2000 दिनांक 21.7.2001 द्वारा दी गई थी इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके कार्यालय पत्र संख्या 1386/का0पे0यो0दे./दिनांक 01.4.2005 के साथ प्राप्त प्रश्नगत पेयजल योजना के रू0 376.27 लाख (रू0 तीन करोड़ छयत्तर लाख सताइस हजार मात्र) के पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई रू0 349.38 लाख (रू0 तीन करोड़ उन्नचास लाख अड़तीस हजार मात्र) की लागत के आगणन पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करने के साथ ही स्वीकृत कर दी गई रू0 315.80 लाख को समायोजित करते हुए स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 33.58 लाख के विपरीत चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय हेतु रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल जनपद देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। आहरण से संबंधित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाय।

(10) प्रश्नगत योजना हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति पृथक से निर्गत की जायेगी।

(11) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(12) योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई–आयोजनागत –107–मल निकासी सेवायें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–02–देहरादून में जलापूर्ति का सुदृढ़ीकरण–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 1127/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 30 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 370/उन्तीस (2)/05(45पे.)/2000 TC तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला अधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया संबंधित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गई कटौतियों के विवरण को नोट करने हेतु निर्देशित करें।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त (बजट सैल)।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव